तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर

स्कैप बिक्री हेतु निविदा से संबंधित शर्तें :-

1. मुहरबन्द निविदा दिनांक 21.08.2024 के अपराह्न 5.00 बजे तक स्थापना शाखा में कुरियर/पोस्ट/हाथो-हाथ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त निविदा दिनांक 23.08.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमिटि के समक्ष खोला जायेगा जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र के साथ 500.00/- (पाँच सौ रू0) का बैंक ड्राफ्ट "तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" के नाम से "मुजफ्फरपुर" में भुगतेय होगा को साथ मे संग्लन करना अनिवार्य है।
3. बिना अग्रधन की राशि के निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अग्रधन की राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट "तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" के नाम तथा "मुजफ्फरपुर" में भुगतेय होना चाहिए।
4. असफल निविदादाताओं का ड्राफ्ट निविदा खुलने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाएगा।
5. यह निविदा अगले एक वर्ष के लिए उच्चतम दर पर आमंत्रित की जाती है।
6. स्कैप का विवरण इस प्रकार हैः-

क0 सं0 (क)	मुजफ्फरपुर डेयरी में उपलब्ध सामग्रियों का नाम	वर्ष 2024-25 का अनुमानित मात्रा *	अग्रधन राशि
1.	स्कैप एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक क्रेट (टूटा हुआ)	18000 कि0ग्रा0	25000/-
2.	मिश्रित स्कैप (पोलीथीन, प्लास्टिक कप/जार, एस0 एम0 पी0/डबलू0 एम0 पी0 बैग/लाईनर, पेपर हार्ड बोर्ड/ कोरूगेटेड बोर्ड इत्यादि)।	30000 कि0ग्रा0	40000/-
3.	स्कैप टायर 1000-20 (50 पीस), 7.00 x 15 (03 पीस) 7.00x16 (16 पीस), 215/75/16 (11पीस) & 8x25 (04 पीस)	84 पीस	1000/-
4.	स्कैप वाहन पुर्जे	5000 कि0ग्रा0	20000/-
5.	स्कैप प्लास्टिक बकेट	200 पीस	1000/-
6.	स्कैप मोबिल (जला हुआ) एवं स्कैप कम्प्रेशर ऑयल	400 लीटर	1000/-
क0 सं0 (ख)	सीतामढी डेयरी में उपलब्ध सामग्रियों का नाम		
1.	मिश्रित स्कैप (पोलीथीन, कार्टून, एस0 एम0 पी0/डबलू0 एम0 पी0 बैग/लाईनर इत्यादि)। (800 कि0ग्रा0 लगभग)	3500 कि0ग्रा0	5000/-
2.	स्कैप मोबिल (जला हुआ)	300 लीटर	1000/-
क0 स0 (ग)	पशु आहार कारखाना, कॉंटी में उपलब्ध सामग्रियों का नाम		
1.	स्कैप जूट एवं प्लास्टिक बोरा	38000 कि0ग्रा0	20000/-
2.	स्कैप टीन (25 किलोग्राम क्षमता)	24000	10000/-
क0 स0 (घ)	मोतिहारी डेयरी में उपलब्ध सामग्री का नाम		
1.	मिश्रित स्कैप (पोलीथीन, कार्टून, एस0 एम0 पी0/डबलू0 एम0 पी0 बैग/लाईनर, इत्यादि।)	7000 कि0ग्रा0	5000/-

*उपर दिखाई गई मात्रा सामग्री के उपयोग के आधार पर भिन्न हो सकती है।

7. सफल निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ जमा अग्रधन की राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित कर ली जायेगी। निम्नलिखित सामग्रियों हेतु अग्रधन की राशि निम्न प्रकार जमा करना होगा। उपरोक्त सुरक्षा (जमानत) राशि संघ के पास जमा रहेगा, जिसपर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। संतोषजनक कार्य समाप्ति के उपरान्त यह राशि वापस कर दिया जायेगा। संतोषजनक कार्य नहीं रहने पर सुरक्षा राशि हर्जाने के रूप समायोजित लिया जा सकता है।
8. संबंधित सफल निविदादाताओं को कार्यादेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अंदर उपलब्ध संबंधित स्कैप उठाना आवश्यक होगा। अन्यथा सुरक्षा राशि को जब्त करने की कारवाही की जा सकती है।
9. सभी स्कैप <u>जो है, जहाँ है, जैसे है</u> के आधार पर उठाना होगा। धोने या सुखाने या छाटने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वजन जैसे है, वैसे ही कराना होगा।

स्क्रैप एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक क्रेट के काटने का कार्य प्रभारी भंडार के पर्यवेक्षण में होगा। क्रेट काटने का कार्य निविदादाता द्वारा किया जाऐगा। क्रेट के चारो कोणों के पास इस प्रकार काटा जाऐगा कि क्रेट की पूर्ण ऊँचाई तक क्रेट चारो कोणों पर कट जाए, परन्तु इसका कोई भाग क्रेट से अलग नहीं होने पाये। स्क्रैप क्रेटों की बिक्री के पूर्व इसकी गिनती भंडार प्रभारी, विपणन प्रभारी और सुरक्षा प्रभारी (अगर) या इनके प्रतिनिधियों के समक्ष किया जाऐगा।

11. सभी निविदादाताओं को केवल <u>कर रहित अधिकतम दर</u> देना होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य रूप में दर अंकित करने पर निविदा अस्वीकृत किया जा सकता है। सभी समाग्रीयों पर नियमानुकुल GST अलग से देना होगा।

12. मुजफ्फरपुर डेयरी में उपलब्ध स्क्रैप सामग्री क्रमांक (क) का 01, 02 एवं 04 का दर प्रति किलो आधार पर देना होगा। क्रमांक (क) का 03 एवं 05 के स्क्रैप सामग्री के लिये प्रति पीस आधार पर देना होगा। क्रमांक (क) 06 के स्क्रैप सामग्री का दर प्रति लीटर के आधार पर देना होगा।

13. सीतामढ़ी डेयरी में उपलब्ध स्कैप सामग्री क्रमांक (ख) 01 का दर प्रति किलो आधार पर देना होगा। क्रमांक (ख) 02 के स्क्रैप सामग्री का दर प्रति लीटर के आधार पर देना होगा।

14. पशु आहार कारखाना, कॉटी मे उपलब्ध स्कैप सामग्री क्रमांक (ग) 01 का दर प्रति कि0ग्रा0 के आधार पर एवं क्रमांक (ग) 02 का दर प्रति नग के आधार पर देना होगा।

15. मोतिहारी डेयरी में उपलब्ध सामग्री क्रमांक (घ) 01 का दर प्रति कि0ग्रा0 के आधार पर देना होगा।

16. मुजफ्फरपुर डेयरी, सीतामढ़ी डेयरी, पशु आहार कारखाना, कॉटी एवं मोतिहारी डेयरी में उपलब्ध स्कैप सामग्री दर एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

17. निविदादाता या उनके कर्मी को स्कैप स्वयं उठाने की व्यवस्था करनी होगी तथा स्थल की को पूरी सफाई करने की जवाबदेही आपकी होगी। इसके लिए संघ के तरफ से कोई मजदूर/अन्य व्यवस्था नहीं कराया जायेगा।

18. स्कैप उठाव के पूर्व उसकी कीमत प्रभारी भंडार के माध्यम से लेखा शाखा में जमा कर विपणन शाखा से उठाव चालान कटवाना होगा। स्कैप का उठाव संघ के संबंधित भंडार शाखा के द्वारा गेट पास निर्गत के उपरांत ही स्कैप उठाने का अनुमति होगा।

19. निविदादाता या उनके कर्मी द्वारा संघ के कैम्पस में यदि किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है या किसी प्रकार की चोरी या असामाजिक हरकत करता है तो निर्गत कार्यदिश को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त की जा सकती है।

20. विगत दो वर्षो 2022-23 एवं 2023-24 के अंदर संघ के द्वारा निर्गत कार्यदिश के बावजूद यदि समय पर स्कैप नहीं उठाया गया है तो उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

21. कोई अथवा सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, तिमुल के पास सुरक्षित रहेगा।

22. किसी विवाद की स्थिति में **प्रबंध निदेशक,** तिमुल मध्यस्थ (Arbitrator) होंगे। इनका निर्णय सर्वथा मान्य होगा। साथ ही किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय हमारा दायरा होगा।

23/07/24
प्रबंध निदेशक